

प्रकरण संख्या 101/2018

राजस्थान सरकार  
न्यायालय तहसीलदार बीदासर  
दायरा दिनांक 16.11.2018

पीठासीन अधिकारी  
श्री ओमप्रकाश वर्मा  
आरटीएस  
तहसीलदार बीदासर

सहायक अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग बीदासर  
प्रार्थी.....

बनाम  
उगमसिंह पुत्र मालसिंह जाति राजपुत नि. तेहनदेसर  
अप्रार्थी.....

निर्णय

दिनांक 25.01.2019


पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि सहायक अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग बीदासर ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि अप्रार्थी उगमसिंह पुत्र मालसिंह जाति राजपुत नि. तेहनदेसर ने ग्राम तेहनदेसर में सार्वजनिक निर्माण विभाग की सड़क सीमा में 12.00 वर्गमीटर भूमि पर दो आलमारी का निर्माण कर नाजायज अतिक्रमण कर लिया है। अप्रार्थी को धारा 91 एल आर एक्ट के अंतर्गत नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी नियत तारीख पेशी पर अनुपस्थित रहा इसलिए एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर निर्णय किया गया।

पत्रावली का अवलोकन करने एवं सहायक अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग बीदासर की रिपोर्ट से स्पष्ट साबित है कि अप्रार्थी उगमसिंह पुत्र मालसिंह जाति राजपुत नि. तेहनदेसर ने ग्राम तेहनदेसर में सार्वजनिक निर्माण विभाग की सड़क सीमा में 12.00 वर्गमीटर भूमि पर दो आलमारी का निर्माण कर नाजायज अतिक्रमण कर लिया है। नियमानुसार अप्रार्थी को अतिक्रमी घोषित किया जाता है और सहायक अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग बीदासर को आदेशित किया जाता है कि आप अतिक्रमी को भौतिक रूप से बेदखल करते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत करें तथा पटवारी हल्का तेहनदेसर को आदेशित किया जाता है कि आप अप्रार्थी से शरह पड़ता लगान ग्राम तेहनदेसर 00.50 रु प्रति बीघा की दर का 50 गुणा राशि अतिक्रमित भूमि 12.00 वर्ग मीटर की राशि 05/- पांच रूपया वसूल करें तथा तहसील राजस्व लेखाकार मांग कायमी करना सुनिश्चित करें।

निर्णय आज दिनांक 25.01.2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मोहर से जारी किया गया एवं सरे इजलास सुनाया गया।

उक्त मांग कायमी रा.ले. 4 के पृष्ठ संख्या 7  
पर कर ली गई है।

  
तहसील राजस्व लेखाकार  
बीदासर

  
(ओमप्रकाश वर्मा)  
आरटीएस  
तहसीलदार बीदासर